International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

महिलाओं के कल्याण और कौशल विकास की राह आसान बनाने की कोशिश: एक मंथन

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक योजना की शुरूआत भी की थी। इस बैंक का मकसद छोटे कारोबारियों और महिलाओं को ऋण सुविधा देना है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर काम करेगा। इस बैंक के ज़रिए 10 लाख रूपये तक के ऋण मिलेंगे–शिशु, किशोर और और तरूण। शिशु के तहत 50 हजार रूपये तक के लोन दिए जायेंगे, किशोर के तहत 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपये तक के ऋण दिए जायेंगे और तरूण के तहत 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक के ऋण दिए जाने की बात कही गयी है।

अनुमान लगाया गया है कि मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को भी ऋण दिया जायेगा। साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वाले जैसे लोगों को भी ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक लाख करोड़ रूपये ऋण दिए गये। इसमें 2.07 लाख महिला उद्यमियों को लाभ मिला। इस

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने पहली बार लालकिले की प्राचीर से ही जानकारी दे दी थी और प्रस्ताव पिछले बजट में ही वित्तमंत्री ने पेश कर दिया था। मुद्रा बैंक बनाने के प्रस्ताव में जिसमें 20 हजार करोड़ रूपये की राशि और 3 हजार करोड़ रूपये की क्रेडिट गारंटी राशि रखने की बात कही गई थी। मुद्रा बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर निगरानी भी रखेगा।

अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्टैंडअप इंडिया योजना' की मंजूरी पिछले वर्ष ही दे दी थी। महिला उद्यमियों के विकास के लिए निजी और सरकारी बैंक पहले से ही कई योजनाएं चला रहे हैं। चूंकि इन योजनाओं में बैंक को कोई फायदा नजर नहीं आता है इसलिए वे ऐसी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने से बचते रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भी महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ही था लेकिन स्टैंडअप योजना में हर बैंक को सीधे तौर पर दिशानिर्देश जारी किये गये हैं और प्रधानमंत्री सीधे उस योजना से जुड़े हैं इसलिए इस योजना की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। इस योजना के तहत औसतन हर बैंक की शाखा को कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना और लोगों तक पहुंचाना है। योजना की शुरूआत के बाद 36 महीनों में कम से कम ढाई लाख मंजूरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्टैंडअप इंडिया योजना में प्रावधान– 10,000 करोड़ रूपये की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिए पुनर्वित्त खिड़की, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के ज़रिए एक ऋण गारंटी तंत्र का सृजन, उधार लेने वालों को ऋण–पूर्व चरण एवं संचालनों दोनों प्रक्रियाओं

के दौरान सहयोग देना। इसमें लेखा क्रय सेवाओं के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफार्म एवं ई–मार्केट स्थानों के साथ पंजीकरण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों एवं

समस्या समाधान पर सत्रों का अयोजन कर बताए जाने की भी योजना है।

योजना का विवरण– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए समर्थन मुहैया कराने पर फोकस है। स्टैंडअप योजना का मकसद सुविधाविहीन क्षेत्रों तक बैंक ऋण की सुविधाएं प्रदान करना और संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। महिलाओं को 10 लाख रूपये से एक करोड़ तक बैंक ऋण दिए जाने की योजना है।

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2016–17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट में योजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा बुनियादी ढांचा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के विश्लेषण को गहराई से पढ़ने के बाद पता चलता है कि महिलाओं के लिए आंवटित राशि महिलाओं के विकास के लिए नाकाफी है। हां, ये सच है कि 2015–16 की तुलना में विभिनन मंत्रालयों में महिलाओं की योजनाओं के लिए एक साथ निर्देशित धन में 6023.6 करोड़ रूपये अधिक आवंटित किए गये हैं। महिलाओं के लिए 2015–16 में ₹ 11,388.41 करोड़ रूपए आवंटित किए गये थे जबकि इस वर्ष यह राशि ₹ 17,412.01 करोड़ हो गई है। इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत के विकास की कहानी में सरकार महिलाओं के लिए छोटे–छोटे कदम उठा रही है। सरकार ने प्रस्तावित महिला विशिष्ट योजनाओं पर विभिन्न

मंत्रालयों को 2016–17 की आवंटित राशि में 55 फीसदी की वृद्धि करने की योजना तो रखी है लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास बमुश्किल ही आय है। बताते चलें कि पिछले वर्ष भी सरकार ने महिलाओं की विशिष्ट योजनाओं के लिए 16,657.11 करोड़ रूपये के बजट की घोषणा की थी लेकिन बाद में उसमें 5,000 करोड़ रूपये संशोधित कर मात्र 11,388.41 करोड़ रूपये ही आवंटित किए गये थे।

भारत में लैंगिक समानता के अनेक कानूनों के बावजूद हमारा पुरूष प्रधान समाज आज भी महिलाओं की प्रतिभा एवं क्षमताओं को कमतर आंकता है। यही कारण है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार सृजन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय रोजगार मिशन जैसी योजनाओं के लिए आवंटित राशि दुगुनी की गई है। वहीं निर्भया योजना, महिला की हेल्पलाइन और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के लिए 470 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। महिला पुलिस अधिकारियों के लिए, महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष जबर्दस्त बढ़ोतरी बढ़ाकर 16 करोड़ कर दिया गया है।

महिलाओं के लिए योजनाओं पर कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में किये गये आवंटन सराहनीय हैं। उसमें सुधार देखा जा रहा है वहीं कुछ ज़रूरी योजनाओं में जरूरत से ज़्यादा कटौती देखने को मिली है। घरेलू हिंसा पीड़ितों की रक्षाा के लिए इस बार किसी भी तरह का आवंटन नहीं दिखा है। वैसे जब बजट

की गणना करते हैं तो बजट का पार्ट ए और बी दोनों की ही गणना की जाती है। 2016–17 का बजट देखने के बाद यह पता चलता है कि महिलाओं के लिए इस वर्ष ₹ 80,634.76 करोड़ आवंटन की बात कही गई है 2015–16 में यह राशि ₹ 81249.12 करोड़ थी।

'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के सपने को केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली आम बजट में साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। चालू वित्तवर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक नए उपाय शामिल करने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे वर्ष 2016–17 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस कदम से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इससे खाना बनाने की आपूर्ति श्रंखला में ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। वित्तमंत्री ने 75 लाख मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से रासोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

महिलाओं के सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों के साथ मिलकर भी कई योजनाएं चला रही है जिसमें महिलाओं के जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने से लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने, एटीएम कार्ड, शॉपिंग, खाने–पीने से लेकर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आदि तक की सुविधाएं मुहैया करा ही रही है। साथ ही, बच्चों के लिए अकाउंट खोलने की सुविधा दे रही है।

सरकार मुद्रा योजना– सरकार ने मुद्रा खासकर असंठित क्षेत्र सेक्टर की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई है जिसे हर बैंक को लागू करना आवश्यक है। इसके तहत घर से उद्योग चलाने वालों को बैंक ₹ 50,000 से दस लाख रूपये तक ऋण देता है। इस योजना के तहत ऋणधारक को किसी तरह की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। गारंटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बैंक इस उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत बारीकी से देखता है जिसमें पैनी नजर उन बातों पर होती है कि ऋण लेने वाला अपना सारा खर्च निकालने के बाद ब्याज की राशि किस तरह से अदा कर पाएगा।

सरकार की योजना के तहत सीजीटीएमसी (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज) योजना है जिसमें बैंक एक करोड़ रूपये तक ऋण देता है वह भी बिना गारंटर के।

महिलाओं की योजनाओं पर आरबीआई के दिशानिर्देश– पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आरबीआई ने दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसके अंतर्गत सभी बैंको को महिला सशक्तिकरण के लिए कुल ऋण लक्ष्य 'टोटल लोन टार्गेट' का पांच प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को देकर पूरा करना है। आरबीआई ने यह गाइड लाइन 2001 में ही

लागू की थी लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि आज तक बैंक लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

बैंको के लिए गठित संसदीय समिति ने महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर विशेष रियायत देने की सिफारिश भी की है लेकिन उस गाइडलाइन का कितना पालन हो पा रहा है!

References

Adam, S. (2012). Skills Development for Secure Livelihoods. Paper presented on behalf of GIZ. Paris: Association for the Development of Education in Africa (ADEA).

Banerjee, A. V. & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: Public Affairs.

Daniels, S. (2010). *Making Do: Innovation in Kenya's Informal Economy*. San Francisco: Creative Commons.

FICCI-KPMG *(2012).Skilling India- a look back at the progress, challenges and the way forwar.*

FICCI-Ernst & Young *(2012). Knowledge Paper on Skill Development in India-Learner First.*

Government of India *(2013-14). Education, Skill Development and Labour Force, Volume-3*. New Delhi: Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment.

Government of India (2013). *(NSS 66th Round), Status of Education and Vocational Training in India*. New Delhi: NSSO, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

UNESCO. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2012). *Education for All Global Monitoring Report 2012. Youth and*

Skills: Putting Education to Work. Paris: UNESCO.

Government of India (2012-13). *Seizing the Demographic Dividend- Chapter 2,* Economic Survey. New Delhi: Ministry of Finance.

Government of India (2013). *Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Social Sectors, volume 3*. New Delhi: Planning Commission.

World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011/12. World Economic Forum.

World Bank. (2012a). *World Development Report 2013: Jobs*. Washington, D.C.: World Bank.